मानव कल्याण सेवा समिति

Annual Progress Report for the

Year 2018 – 2019

Manav Kalyan Seva Samiti

Karal, Post Office & Tehsil Chopal,
District Shimla, Himachal Pradesh - 171211

Phone : (Off.) 01783 260334, Fax : 01783 260239, Mobile : 9816312732
E-mail : mksscpl@yahoo.co.in, mksscpl@gmail.com
Website : www.manavkalyan.org.in

संस्था का संक्षिप्त परिचय

विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र ग्रामीण, पहाड़ी व अति दुर्गम है जो कि पहले से ही आधुनिक सुविधाओं से वंचित रहा है। यहां आय वर्धन के कोई साधन न होने के कारण लोगों को गरीबी व बेरोज़गारी का समाना करना पड़ता है। इन तथ्यों को मध्यनज़र रखते हुए वर्ष 1980 में इस क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के कल्याण एवं विकास हेतू एक ऐसे स्वंय सेवी संगठन का गठन किया जाना चाहिए जो निःस्वार्थ भाव से बिना किसी जाति, धर्म व भेदभाव के समान रूप से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए निशदिनरत प्रयत्नशील एवं जागरूक रहे। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से आये हुए बुद्धिजीवियों व अनुभवी क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम 'मानव कल्याण सेवा समिति' रखा गया। वर्ष 1980 से ले कर तादिन समिति ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान हेतु अनेकों प्रकार के विकासात्मक कार्य करती आ रही है। इस समिति को दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 को सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत करवाकर वैधानिक रूप दिया गया। इसके पश्चात् समिति जनहित में अनेकों प्रकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का सफल एवं परिणामजनक संचालन करती आ रही है और निशदिन ग्रामीण विकास एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित भावना से जन कल्याण के कार्यों को मूर्त रूप देती आ रही है।

दलित वर्ग के उत्थान हेतु विशेष व सराहनीय प्रयत्न के लिए वर्ष 1991-92 में समिति के निदेशक श्री केशव राम लोदटा को तत्कालीन महामहीम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री विरेन्द्र वर्मा जी द्वारा सम्मनित किया गया है। समिति के सभी सदस्यों को समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है तथा सभी सदस्य निःस्वार्थ, निष्काम एवं समर्पित भावना से समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हैं।

समिति के उद्देश्य :

समिति का गठन ग्रामीण विकास, निःसहाय महिलाओं, गरीबों, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्यकों, वृद्धों तथा विस्थापित लोगों को सहायता पहुचाने तथा उनके सर्वांगिण विकास व युवाओं तथा युवतियों को नशीले पदार्थों व नशीली दवाईयों के सेवन के हानियों के बारे में जागरूक करना तथा नशीली दवाईयों की डिमांड को निर्मूल करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा स्वास्थ्य जिसमें जल जनित रोगों से बचाव, स्वच्छता, शौचालय निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा प्राकृतिक आपदओं से निपटने हेतु जागरूकता प्रसार शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना व जल संरक्षण तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्धता भी समिति का विशेष उद्देश्य है, क्यों कि भविष्य में ऐसा वक्त आने वाला है जब भूमि सिंचाई की तो दूर की बात होगी, पेयजल की बूंद - बूंद के लिए मानव को तरसना पड़ेगा। इस क्षेत्र में भोगौलिक स्थिति अनुसार पानी या तो प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त होता है या फिर बारिश के रूप में। लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण पानी के प्राकृतिक स्त्रोत भी पूर्णतः सूखने के कगार पर है। यदि कभी - कभार बारिश होती भी है तो वह जल व्यर्थ में नालों में बह जाता है। समिति का जल संरक्षण में उद्देश्य रहता है कि बारिश के पानी को भी व्यर्थ बहने से रोक कर संग्रहित किया जाए ताकि पानी रिसाव व सनाव ज़मीन में बना रहे और हमारे जल के प्राकृतिक

स्त्रोत भी जीवित रहे। सभी जानकार लोगों का कहना है कि यदि एक और विश्व महायुद्ध होता है तो सिर्फ पानी के लिए ही होगा। इसका समाधान केवल पानी का संरक्षण करना व सुगम उपलब्धता पर निर्भर होगा।

परियोजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतू अपनाई जाने वाली कार्यशैली :

समिति द्वारा जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल व ठियोग तथा उतराखण्ड के विकास नगर तथा मण्डी जिला के करसोग में अनेकों प्रकार के जन कल्याणकारी तथा लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आज भी मुंह बाये व विकराल रूप धारण किये बरकरार है। विकास खण्ड चौपाल के क्षेत्रवासियों को विशेषकर दूर - दराज़ के ईलाके के लोगों को समिति से अपने स्तर पर से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाने की उम्मीद होती है। लिहाज़ा वे अपनी समस्याओं को स्थानीय संगठनों जैसे स्वंय सहाय ता समूह, महिला मण्डल व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से समाधान के लिए समिति के सामने पेश करते हैं।

परियोजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन हेतु जन सहभागिता की बैठक

समिति इस बारे गहन विचार विमर्श करती है और उस क्षेत्र में समिति का एक दल भेज कर वस्तुस्थिति से रूबरू होने के लिए एवं सर्वे करने के लिए भेजती है तथा ग्रामवासियों के साथ बैठकें कर उनकी समस्यओं के समाधान के लिए और तथाकथित समस्या का समाधान खोजने के लिए योजनाएं बनाती है और ऐसी समस्या का समाधान ऐसी योजना के माध्यम से खोजती है जो अधिक लाभप्रद साबित हो सके और ग्रामीणों की समस्या का समाधान एक चिरस्थायी (Sustainable) समाधान के तौर पर हो सके। तत्पश्चात् सर्वेक्षक दल योजना को समिति की कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्तुत करता है जिसे बाद गहन विचार - विमर्श के समिति की कार्यकारिणी योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव पारित करती है तथा सरकारी, अर्धसरकारी व गैर-सरकारी वित्तप्रदायी संस्थानों को आर्थिक सहायता के निवेदन सहित प्रेषित करती है।

समिति सभी प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित समुदायों की उप-समितियां गठित करती है और सभी स्थानीय संगठनों जैसे महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्वंय सहायता समूह एवं अन्य स्थानीय संगठनो का सहयोग लेती हैं और इन उप-समितियों में लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व निशिचत किया जाता

है ताकि योजना का कार्यान्वयन उचित, कारगर एवं चिरस्थायी प्रकार से हो सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा योजना का प्रभाव समुदाय पर चिरस्थायी प्रकार से पड़ सके तथा समुदाय की समस्या का समाधान भी चिरस्थायी भाव से सम्भव हो सके।

वर्ष 2018–2019 में समिति द्वारा किये गए कार्य की प्रगति प्रतिवेदना :

1. राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम (National Creche Scheme) : समिति राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के वित्तिय सहयोग से विकास खण्ड चौपाल की विभिन्न दुर्गम पंचायतों में कुल 20 पालनाघर केन्द्रों का संचालन कर रही है। पालनाघर केन्द्र की जगह का चय_न वहां के स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से किया गया है तथा पालनाघर केन्द्र में कार्यकर्ता व सहायकि की नियुक्ति भी स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से ही की गई है। केन्द्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय की की इस कल्याण्कारी योजना से 20 पालनाघर केन्द्रों में 0 से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 473 बालक/बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा उन्हें पाठशाला पूर्व शिक्षा के साथ - साथ अनुपूरक पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालनाघर केन्द्रों में लाभान्वित हो रहे बालक/बालिकाओं

की नियमित स्वास्थ्य जांच अनुभवी चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता से करवाई जा रही हैं और उन्हें पल्स पोलियो प्रतिरक्षक खुराक आदि सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। प्रत्येक पालनाघर केन्द्र में दो-दो बाल सेविकाएं (1 कार्यकर्ता तथा 1 सहायिका) की नियुक्ति की गई है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार की इस योजना से 40 ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके गांव में कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में रोज़गार उललब्ध हो रहा हे। केन्द्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय ने 1 जनवरी 2016 से पालनाघर केन्द्र में कार्यरत कार्यकर्ता व सहायिका का मानदेय बढ़ाया है जो कार्यकर्ता को मु0 3,000/- मासिक व सहायिका को मु0 1,500/- मासिक है तथा लाभार्थी बालक/बालिकाओं के लिए पौष्टिक आहार भी 12/- प्रति लाभार्थी बालक/बालिका प्रतिदिन तक बढ़ोतरी कर दी है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय व राज्य सरकार के इस कदम से राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम का संचालन और

अधिक कारगर व सुव्यवस्थित विधि से चलाना सम्भव हुआ है तथा बालसेविकाएं व बच्चों के अभिभावक अधिक रूची ले रहे है। समाज के पिछड़ा व वंचित वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम से विशेषकर एवं वास्तविक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के इस अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम को प्रशंसा मिलना स्वभाविक है।

समिति उपरोक्त योजना का संचालन विकास खण्ड चौपाल में वर्ष 1991-92 से करती आ रही है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पालनाघर केन्द्रों का संचालन उन्हीं पिछड़े गांवों में किया जा रहा है जहां से आंगनबाड़ी केन्द्र डेढ़ या दो कि0मी0 की दूरी पर हैं। इस योजना की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की है तथा यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की रूग्ण एवं कामकाजी महिलाओं के लिए व उनके बालक-बालिकाओं के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है। इस कार्यक्रम के संचालन में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक केन्द्र में 14 नवम्बर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी 14 नवम्बर बाल दिवस के रूप में प्रत्येक पालनाघर केन्द्र में प्रशंसनीय प्रकार से आयोजित किया गया। पालनाघर केन्द्र सुचारू रूप से चले, इसके संचालन के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। समीप के विद्यालय के प्राध्यापक तथा दो स्थानीय कामकाजी महिलाएं जिनके बच्चे सम्बन्धित पालनाघर केन्द्र के लाभार्थी हों, इस उप समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। यह भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि डेढ़ से दो किलो मीटर की दूरी के भीतर कोई आंगनवाड़ी या दूसरा कोई समकक्ष केन्द्र न चल रहा हो जो इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा हो। प्रत्येक पालनाघर केन्द्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए गठित उप समिति की 12 बैठकें हुई। बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सुचनार्थ प्रेषित किया गया। समाज कल्याण बोर्ड के सहायक परियोजना अधिकारी ने समिति द्वारा संचालित 20 पालनाघर केन्द्रों का निरिक्षण किया तथा समिति द्वारा चलाए जा रहे पालनाघर केन्द्रों की व्यवस्था पर सन्तोष ज़ाहिर किया।

2. वरिष्ठ नागरिक गृह/वृद्धाश्रम (Senior Citizen Home)

वर्ष 2011 - 2012 से 31 मार्च 2018 तक समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वित्तपोषण से 50 वृद्धजनों के लिए बहुद्देशीय सेवा केन्द्र (Multi Service Center for Senior

Citizes) चला रही थी जिससे 50 वृद्धजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन औषधियां, सामयिक मनोरंजन तथा बहुआयामी स्वास्थ्य लाभ एवं निःशुल्क पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। सभी वृद्धजन इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट थे।

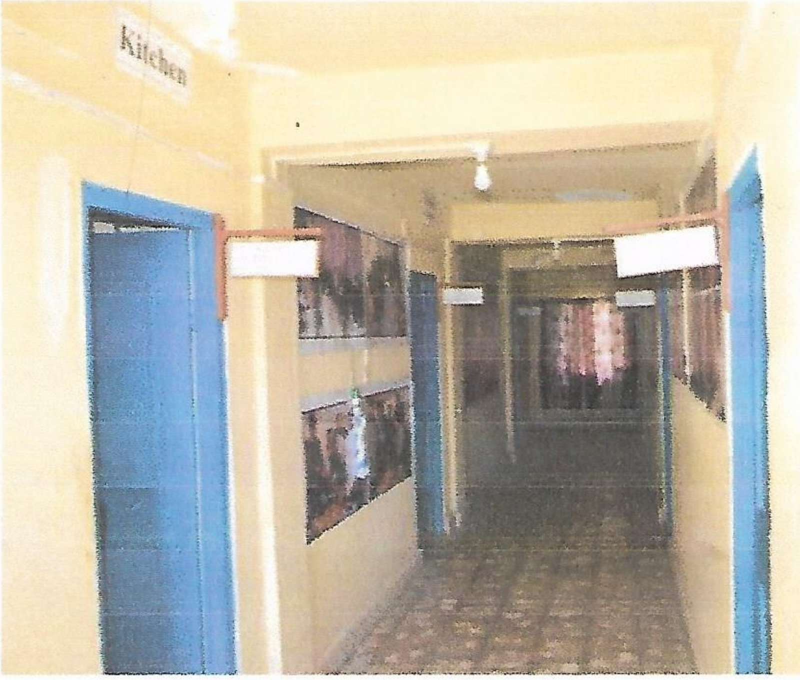

स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की।

मार्च 2018 में मन्त्रालय ने वेबसाईट में एक सूचना डाली कि 1 अप्रैल 2018 से वृद्धजनों के लिए बहुद्देशीय सेवा केन्द्र (Multi Service Center for Senior Citizes) के संचालन हेतु सरकार अनुदान नहीं देगी। जिस क्षेत्र में इस कार्यक्रम की आवश्यता हों, वह NGO वृद्धों की सेवार्थ कार्यक्रम संचालन करना चाहते हैं, वे इस कार्यक्रम को वृद्धाश्रम में बदल सकते हैं।

तहसील कल्याण अधिकारी चौपाल श्री सुरेन्द्र बिन्टा जी वृद्धाश्रम का निरिक्षण करते हुए

मानव कल्याण सेवा समिति की प्रबन्धक कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर मन्त्रालय से निवेदन किया कि हम वृद्धों की सेवार्थ वृद्धाश्रम का संचालन करना चाहते हैं और समिति ने 1 अप्रैल 2018 से 25 वृद्धों के लिए बहुद्देशीय सेवा केन्द्र (Multi Service Center for Senior Citizes) को Senior Citizen Home में बदल दिया और सभी वांछित फर्नीचर व भोजन व्यवस्था

का प्रबन्ध स्थानीय बाज़ार से व संस्था के सदस्यों एवं अन्य लोगों से असुरक्षित ऋण लेकर किया परन्तु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2018-2019 के लिए अनुदान की स्वीकृति अभी भी प्रतिक्षित है। आशा है कि वर्ष 2018-19 के लिए मन्त्रालय शीघ्र ही अनुदान की स्वीकृति प्रदान करेगा। वृद्धाश्रम के सभी 25 लाभार्थी मन्त्रालय के इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट है और स्थानीय प्रशासन तथा सभी पंचायत प्रतिनिधी समय समय पर कार्यक्रम का अवलोकन करते रहते हैं और संस्था को हर तरह का सहयोग प्रदान करते हैं।

3. दलित वर्ग कार्यक्रम :

समिति ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम द्वारा अनुदानित इस अति लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऐसे लाभार्थियों के लिए किया जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अति असहाय तथा अति निर्धन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना है।

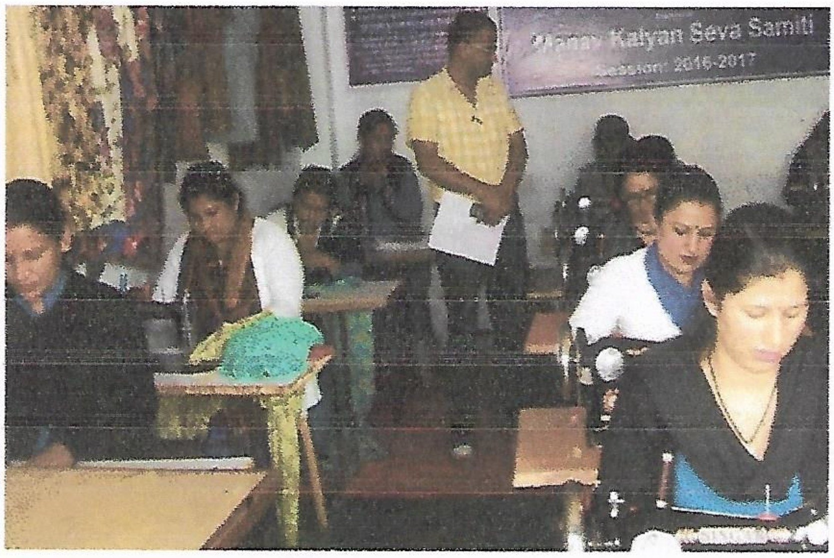

समिति इस कार्यक्रम का संचालन विगत कई वर्षों से लगातार करती आ रही है। वर्ष 2018-2019 में भी उपरोक्त निगम द्वारा वित्तपोषित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड ठियोग के सैंज में प्रशिक्षार्थियों को सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2018-2019 में 20 लोगों को ड्रैस व डिज़ाईनिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें अपना रोज़गार संचालन के लिए हि0प्र0 अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम व बैंक के सहयोग से मु0 50,000/- से 1,00,000/- रूपये का सुगम ऋण उपलब्ध कराया गया।

4. वृद्ध लोगों की सेवा व देखभाल हेतु बच्चों को संस्कारित करना (Sensitization of School & College children) :

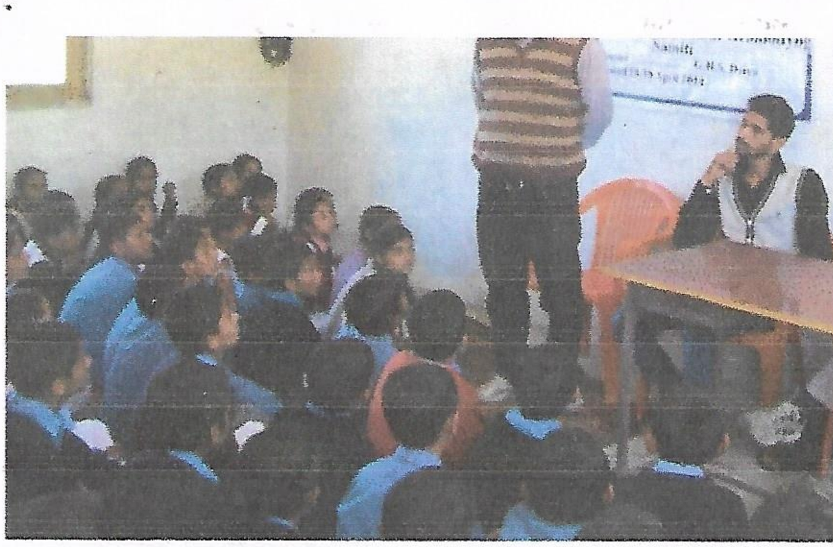

समिति क्षेत्र की आगामी पीढ़ी व देश के भावी बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए व उनमें उच्च कोटी के संस्कार एवं वृद्धजनों के पालन-पोषण एवं उनकी देखभाल हेतु उनके आचार व्यवहार में तबदीली लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम

का आयोजन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्कूलों व कॉलेजों में कर रही है। इस उद्देश्य से समिति ने स्कूली बच्चों व कॉलेज के बच्चों के लिए 36 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जिनके द्वारा उनमें बुजुर्गों के प्रति आदर, व सेवा का भाव जागृत करने का प्रयत्न किया गया और घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया गया। समिति ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देईया, मालत, कुवपी, गुम्मा, बौहर, पुलबालह, सरी, गुम्मा, चौपाल, सरॉह, धबास तथा डिग्री कॉलेज नेरवा, चौपाल व सरस्वती नगर में इन शिविरों का सफल आयोजन किया जिसमें सैंकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का असर बच्चों में वृद्धों की देखभाल करने हेतु उनके बदले हुए व्यवहार व संस्कार से देखने में मिला। युवक एवं युवतियां अब भली-भांति अपने वृद्धजनों (माता-पिता व दादा-दादी) की भली-भांति सेवा सुश्रुषा करते नज़र आते हैं जिससे इस कार्यक्रम की सफलता का संकेत मिलता है। हालांकि पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे समाज की युवा पीढ़ी को वांछित संस्कार में ढालना एक अत्यन्त कठिन कार्य है फिर भी लगातार प्रयत्नों से अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। कहते है कि "करत - करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ज्यां रसरी आवत जात से सिल पर होत निसान।" सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय के सहयोग से समिति इस कार्यक्रम को समुचे परियोजना क्षेत्र में निरंतर चलाते आ रही है और अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

5. मोबाईल मेडिकेयर युनिट (Mobile Medicare Unit) :

MMU "घर-द्वार पर वृद्धजनों की स्वास्थ्य जाँच इकाई"

मानव कल्याण सेवा समिति के मुख्य उद्देश्यों में वृद्धजनों (वरिष्ठ नागरिकों) की सेवा, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल/जांच, सुलभ उपचार तथा बढ़ती आयु के साथ लगने वाले रोगों से बचाव, खान-पान बारे जागरूकता व कौंसलिंग एक महत्त्वपूर्ण व प्रमुख भाग है। इसी उद्देश्य को मध्यमज़र रखते हुए समिति वर्ष 2015-2016 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाईल मेडिकेयर युनिट (MMU) का संचालन करते आ रही है। वर्ष 2018-2019 में भी समिति ने दुर्गम क्षेत्रों की 24 ग्राम पंचायतों में ऐसे स्थानों का चयन किया जहां सुगमता से 2 या 3 पंचायतों के वृद्धजन सुगमता से शिविर में भाग ले सकते हैं। इस 24 शिविरों से 5,900 वृद्धजनों (महिलाओं व पुरूषों) ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

इस कार्यक्रम की सर्वत्र प्रशंसा की हुई और सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर मन्त्रालय को इस सिफारिश के साथ भेजा कि वर्ष 2019-2020 के लिए भी इस कार्यक्रम को ज़ारी रखने के लिए संस्था के निवेदन को स्वीकृति प्रदान करें ताकि इस पिछड़े, दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों के वृद्धजन जहाँ आवागमन के साधन न के बराबर हैं, भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। विकास खण्ड चौपाल, कुपवी व विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला का समस्त क्षेत्र पहाड़ी व दुर्गम हैं। यहां पर आवागमन के साधनों की भारी कठिनाई है। विकास खण्ड चौपाल की ग्राम पंचायत किरन, टेलर व बौहर ऐसा क्षेत्र है जहां के लोगों को बस सुविधा प्राप्त करने के लिए कम से कम 45 से 50 किलो मीटर पैदल चल कर आना पड़ता है। इस स्थिति में बिमार बुजुर्गों को कुर्सी/पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं भी घट चुकी है कि अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः इस अत्यन्त लाभकारी कार्यक्रम की इस क्षेत्र में नितान्त आवश्यकता है।

<u>अतिरिक्त कार्यक्रम :</u>

1. मानव कल्याण सेवा समिति ने वर्ष 1998 - 1999 से वृद्धजनों के कल्याण व विकास हेतु हैल्प एज ईण्डिया नई दिल्ली व हैल्प एज ईन्टरनेशनल लन्दन के सहयोग से विभिन कार्यक्रमों का आयोजन किया और 78 वृद्धजनों के स्वंय सहायता समूह, 8 ग्रामीण स्तरीय वृद्धजन फैडरेशन तथा एक खण्ड स्तरीय वृद्धजन फैडरेशन का गठन किया जिसमें वर्ष 2017 तक 1107 वृद्धजनों को जोड़ा गया और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा और विभिन्न प्रकार की सहायता आजीविका उपार्जन हेतु प्रदान की। हैल्प एज ईण्डिया एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से वृद्धजनों की आयवर्धन के लिए तहसील मुख्यालय नेरवा में एक उद्योग ईकाई फल एवं सब्ज़ी के विधायन व परिरक्षण के लिए स्थापित की जिसकी कुल लागत मु0 20,78,192 रूपये है जिसमें से मु0 9,98,192 रूपये हैल्प ऐज ईण्डिया का योगदान, मु0 8,50,000 रूपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकास खण्ड अधिकारी चौपाल का योगदान, मु0 50,000 रूपये चौपाल के माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी का योगदान तथा मु0 1,80,000 रूपये वृंद्धजनों के स्वंय सहायता समूहों का योगदान है। इस उद्योग ईकाई का उद्घाटन तिथि 18.06.2018 को माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी के करकमलों द्वारा किया गया। अब यह ईकाई पूर्णतया संचालित अवस्था में है तथा जैम, जैली, सेब का जूस, चटनी, अचार व मुरब्बा का उत्पादन कर रही है तथा इस उद्योग ईकाई का स्वामित्व खण्ड स्तरिय वृद्ध फैडरेशन को सौंपा गया है और यह फैडरेशन सभाएं पंजीकरण अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत है व स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है इसमें मानव कल्याण सेवा समिति का लेशमात्र भी हस्तक्षेप नहीं है।

2. अनुसूचित जाति के गरीब लाभार्थियों के लिए समिति ने 2001-2002 से लेकर 31.03.2018 तक क्राफ्ट सैंटर का संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से किया जिसमें 850 युवक व युवतियों को सिलाई-कटाई, एम्ब्रायड्री तथा निटिंग (बुनाई) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रदान किया गया और समय-समय पर प्रशिक्षित लाभार्थियों कों रोज़गार प्रदान करने के लिए व निज़ी ईकाई स्थापित करने के लिए रोज़गार मेले का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में तिथि 18.06.2018 को ग्राम पंचायत देईया-दोची के मुख्यालय में स्वरोज़गार मेले का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता चौपाल के विधायक श्री बलबीर वर्मा जी ने की। इस स्वरोज़गार मेले में 104 प्रशिक्षित लाभार्थियों को हिमालच प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम शिमला, यूको बैंक चौपाल व हिमाचल प्रदेश राज्य सहाकारी बैंक सिमित शाखा नेरवा के सहयोग से प्रत्येक लाभार्थी को 50,000 रूपये से लेकर 1,00,000 रूपये तक की राशी बतौर ऋण व प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रूपये बतौर पूंजी अनुदान प्रदान किये गए। क्राफ्ट सैंटर के 850 प्रशिक्षित लाभार्थियों में से 762 प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए।

3. समिति ने वृद्धाश्रम व स्वंय सहायता समूहों से जुड़े 1107 वृद्धजनों के मनोरंजन के लिए तिथि 31.05.2018 को वन विश्राम गृह चौपाल में एक मेले का आयोजन किया। सभी बुजुर्गों ने इस मेले में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और पूरे दिन नाच-गाने की धूम रही तथा सभी भागीदारों के लिए समिति ने भोजन के लिए पहाड़ी व्यंजनों की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. दीप रा म शर्मा (सेवानिवृत उपमण्डल स्वास्थ्य अधिकारी) ने की।

4. समिति ने स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लिया तथा 01.03.2019 से 15.03.2019 तक प्रत्येक पंचायत में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सैंकड़ों महिलाओं व पुरूष ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया तथा सभी ने मिलकर बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, पालनाधर केन्द्र तथा पंचायत मुख्यालय की सफाई की।

5. समिति ने 01.10.2018 को चौपाल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता चौपाल के उपमण्डलाधिकारी (प्रशासन) श्री मुकेश रेस्पवाल, भा.प्र.से. ने की। इस अवसर पर श्री सुरेन्द्र बिम्टा तहसील कल्याण अधिकारी चौपाल विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वृद्धों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

6. तिथि 29.10.2018 से 03.11.2018 तक समिति ने विजीलेंस अवेयरनैस सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आवाह्न किया।

7. तिथि 08.03.2019 को चौपाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 300 महिलाओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने महिलाओं को देश की प्रगति में कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने का आवाह्न किया।

वर्ष 2019-2020 के लिए प्रस्तावित योजनाएं :

समिति वर्ष 2019-2020 के दौरान उपरोक्त सभी योजनाएं वित्तप्रदायी संस्थानों के सहयोग से ज़ारी रखने का भरसक प्रयत्न करेगी व विभिन्न अनुदान प्रदायी संस्थानों को विकासात्मक व कल्याणकारी योजनओं के संचालन हेतू अनुदान स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करेगी जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्नलिखित है:

11. ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं के लिए आजीविका उपार्जन हेतु STEP परियोजना का संचालन करना। इसकी विस्तृत परियोजना तैयार करके महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को हि0प्र0 सरकार की संस्तुति सहित भेजने के लिए प्रयत्न किया जाएगा।

12. निर्धन एवं बेरोज़गार युवकों व युवतियों के लिए आय वर्धक व्यवसाय में में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करना। इसके लिए नाबार्ड के राज्य कार्यालय शिमला से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत स्वंय सहायता समूहों का गठन करना व बैंक से लिंकेज कर सरकार की सूक्षण ऋण योजना व National Rural Livelihood Mission के अंतर्गत उप अनुदान उपलब्ध करवाना व स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण तथा उनकी कार्य करने की क्षमता वर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

14. पिछडे व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में Roof top Rain Water Harvesting योजना का संचालन करना।

15. जल संग्रहण के लिए वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों का निर्माण करना। इस योजना के तहत जंगल, चरागाहों आदि में तालाब खुदवाने की योजना है ताकि वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके जो सूखाग्रस्त स्थिति में भूमि की सिंचाई के काम एवं पशुओं के पीने आदि के प्रयोजन में सार्थक हो।

16- Reduction of drug Demand by inplimenting community based peer ledintervention for early Drug use prevention among adolescents and Drop in Center project.

17. AIDS, TB, मलेरिया व जलजनित रोगों की रोकथाम विषय बारे जागरूकता शिविरों एवं नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रयास करना।

18. Finnovation के सहयोग से CSR योजना के अंतर्गत मातृ .एवं शिशु स्वास्थ्य योजना तथा स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका उपार्जन योजना का संचालन करना।

19. अक्षम व्यक्तियों के लिए रोज़गारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास करना व उनकी कार्य क्षमता व दक्षता विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा अक्षम लोगों के लिए राज़गारोन्मुख प्रशिक्षण योजना का आयोजन करना है।

MKSS

(केशव राम लोदटा)